न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 108/2021

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 कुम्भाराम 2 घमण्डाराम चौधरी 3 पेमाराम 4 अचलाराम पिसरान खेताराम जाति जाट निवासी सादुलानियों का तला, सनावडा तहसील व जिला बाडमेर 5 मिरगोदेवी पुत्री खेताराम पत्नी पूराराम जाति जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।	बनाम	1 खेताराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सादुलानियों का तला, सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री मेघाराम जाखड़, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 10.05.2022

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 स्वर्गीय जेठाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 खेताराम के पुत्र–पुत्री होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त पैतृक भूमि मौजा सादुलानियों का तला पटवार क्षैत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1169/935 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1171/937 रकबा 16.10 बीघा, खसरा संख्या 175/937 रकबा 19.11 बीघा, खसरा संख्या 1179/937 रकबा 24.07 बीघा कुल रकबा 60.12 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 खेताराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा सादुलानियों का तला पटवार क्षैत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1169/935 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1171/937 रकबा 16.10 बीघा, खसरा संख्या 175/937 रकबा 19.11 बीघा, खसरा संख्या 1179/937 रकबा 24.07 बीघा कुल रकबा 60.12 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है। उभय पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मूढों का तला पंचायत समिति बाडमेर द्वारा दी गई।

वादी संख्या 01 कुम्भाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाडमेर

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र–पुत्री होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सादुलानियों का तला पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1169/935 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1171/937 रकबा 16.10 बीघा, खसरा संख्या 175/937 रकबा 19.11 बीघा, खसरा संख्या 1179/937 रकबा 24.07 बीघा कुल रकबा 60.12 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)